न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर,
पीठासीन अधिकारी :–सुभाषचन्द्र आर.ए.एस.

65/2022
एमएस : 2022/551

सुखप्रीत कौर उर्फ जीतपाल कौर पुत्री स्व. श्री जोगेन्द्रसिंह पत्नी श्री मनजीतसिंह जाति जटसिख साकिन मुरादवाला दलसिंह तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)। –:प्रार्थीया

बनाम

अवतारसिंह पुत्र स्व. श्री जोगेन्द्रसिंह जाति जटसिख साकिन गढाढोब तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)।

सुखमन्दर कौर पुत्री स्व. श्री जोगेन्द्र सिंह पत्नी श्री गुरनायबसिंह जाति जटसिख साकिन 3 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर राज.।

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) तहसील रायसिंहनगर श्रीगंगानगर।

–:अप्रार्थीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थानकाश्तकारीअधिनियम

तारीख रजू 13.12.2022

उपस्थितअधिवक्तागण
1. श्री गुरप्रतापसिंह अधि. प्रार्थी ।
2. श्री नरेन्द्र भादू अधि. अप्रार्थी सं. 2।
3. श्री अजीतपालसिह अधि. अप्रार्थी सं. 1।

–: निर्णय :–

दिनांक :–16.07.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि मृतक रामसिंह प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण सं. 1–2 व 2 व तरतीबी प्रति. सं. 4 के हकीकी दादा थे। मृतक श्री रामसिंह के कुल चार पुत्र थमनसिंह–चतरसिंह–इन्द्रसिंह व जोगेन्द्रसिंह थे। श्री जोगेन्द्रसिंह का देहान्त दिनांक 06.02.1999 को हो चुका है और प्रार्थीया व अप्रार्थी सं. 1 व 2 व तर. प्रतिवादी सं. 3 ही मृतक श्री जोगेन्द्रसिंह के जायज वारिसान व उत्तराधिकारी है। मुताबिक जामबंदी संवत 2028–2029 वाके चक 74 आर.बी. तहसील रायसिंहनगर के मुश्तर्का खाता संख्या 20 के कुल खाता योग 16769 हिस्सा में से 2012–7/22 हिस्सा नहरी–बारानी खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड है। इस भूमि में से 1/4 भाग श्री रामसिंह ने पुत्र जोगेन्द्र सिंह को गुजारा के लिये दी थी। मुताबिक जमाबंदी संवत 2044 वाके चक 74 आर.बी. के खाता संख्या 74 में मुरब्बाजात नं. 47 व 48 की कुल खाता योग 8.728 है. नहरी मय खाला खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड है। उक्त रकबा प्रार्थीया व अप्रार्थीगण के लिये पैतृक सम्पति की श्रेणी का होने से उसमें जन्म से ही प्रार्थीया व अप्रार्थीगण के हित व अधिकार निहित है। अप्रार्थी अवतारसिंह के मन में लालचवश बेईमानी होने से उसने पैतृक सम्पति में प्रार्थीया के निहित हित व अधिकारों से वंचित करने की पूर्व नियोजित साजिश अन्तर्गत पिता श्री [illegible] ता का बेजा जोगेन्द्रसिंह की वृद्वावस्था, भोलेपन व मानसिक व [illegible] रियों से मिलीभगत, लाभ उठाते हुये भू–प्रबन्धक विभाग के कर्मचारियों [illegible] यों व ब्यान साज–बाज व दुरभिसंधि अन्तर्गत कूटरचित दस्तावेज [illegible] रामसिंह से प्राप्त भूमि करते हुये पिता जोगेन्द्रसिंह को प[illegible] 1/4 भाग, जोगेन्द्र सिंह के मद नं. 3 की उपमद 'क' में वर्णित भूमि [illegible] अमलदरामद करवा ली साथ–साथ 1/2 हिस्सा अपने नाम से भी कागजात [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.23 16:28:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

इसके अलावा मद नं. 3 की उपमद 'ख' मे वर्णित भूमि की 1/4 भाग की भी सीधे अपने नाम से विधि विरूध व नियम विरूध तरीके से दर्ज करवा गई। वर्तमान रिकार्ड अनुसार अप्रार्थी सं. 1 व मृतक श्री जोगेन्द्र सिंह के से दर्ज भूमियों का विवरण निम्न प्रकार से है:–

मुताबिक जमाबन्दी संवत 2076–2079 संयुक्त खाता संख्या 52/49 अवतार बगैरा में प.नं. 221/260 मुरब्बा नं. 12 की 0.506 है. बारानी, प.नं. /263 मु.नं. 44 की 0.253 है. नहरी–बारानी मय खाला, प.नं. 226/267 मु. 75 की 3.443 है. नहरी मय खाला, पं.नं. 227/262 मुरब्बा नं. 35 की 0.316 नहरी, पं.नं. 228/266 मु.नं. 69 की 1.354 है. नहरी पं.नं. 229/266 मुरब्बा 70 की 1.771 है. नहरी व पं.नं. 230/266 मुरब्बा नं. 71 की 3.036 है. नहरी कुल खाता योग 10.679 है. नहरी–बारानी मय खाला खातेदारी में 1/2 भाग अप्रार्थी सं. 1 अवतारसिंह व 1/2 भाग प्रार्थीया के मृतक पिता श्री जोगेन्द्रसिंह के नाम दर्ज है।

ख) मुताबिक जमाबन्दी संवत 2076–2079 के एकल खाता संख्या 12/9 अवतारसिंह पं.नं. 222/264 मु.नं. 47 की 1.518 है. नहरी व प.नं. 223/254 मुरब्बा नं. 48 की 0.063 है. नहरी कुल खाता योग 1.581 है नहरी खातेदारी अवतारसिंह के नाम दर्ज है। ग मुताबिक जमाबन्दी संवत 2076/2079 के एकल खाता संख्या 161/27 अवतारसिंह प.नं. 230/266 मुरब्बा नं. 71 की कुल खाता योग 0.316 है. नहरी खातेदारी अवतारसिंह के नाम से दर्ज है। चूंकि उपरोक्त तीनों खातों की कुल 12.576 है. भूमि न तो अप्रार्थी सं. 1 की ओर न ही प्रार्थीया के पिता श्री जोगेन्द्रसिंह की स्वअर्जित न होकर प्रार्थी के दादा श्री रामसिंह की विरासत से प्राप्त जद्दी जायदाद (पैतृक सम्पति) होने के कारण अप्रार्थी सं. 1 व जोगेन्द्रसिंह द्वारा किसी विधिक प्रक्रिया व प्रावधानों के विपरीत, नियम विरूध, अवेधानिक व गेरकानूनी तरीके से भूमि अपने नाम से अमलदरामद करवाने से भी प्रार्थी व उसकी बहनों को पैतृक सम्पति में निहित उनके हित व अधिकार समाप्त न होकर निरन्तर होने से प्रार्थी उक्त भूमि को पैतृक सम्पति व उसमें अपना 1/4 भाग घोषित करवा पाने की कानूनन हकदार है। यह कि मद सं. 4 की उपमद क, ख, ग, में वर्णित भूमिया, जिन्हे आगे विवादित रकबा संबोधित किया जावेगा। अप्रार्थी संख्या 1 या प्रार्थी के पिता स्व. श्री जोगेन्दसिंह का स्वअर्जित न होकर जद्दी जायदाद (पैतृक सम्पति) की परिभाषा में आता है। पैतृक सम्पति होने से प्रार्थीया का विवादित रकबा में जन्म से ही 1/4 भाग पर हित व अधिकार निहित होने से प्रार्थीया विवादित रकबा के 1/4 भाग यानि 3.144 है. भूमि पर अपने खातेदारी घोषित करवा पाने की विधिक अधिकारीणी है। अप्रार्थी सं. 1 वृद्व आयु व नशे की लत के चलते मानसिक व शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो चुके है तथा पत्नी का देहान्त हो चुका है। उन्हे अपने भले–बुरे का ज्ञान नहीं रहा ना ही अपने व्यक्तिगत व सम्पदा व अन्य महत्वपूण व हम पारिवारिक व व्यवहारिक निर्णय लेने की क्षमता को खो चुके है। अप्राथी सं. 1 प्रार्थीया को जबरन बेदखल कर उन्हे पैतृक सम्पति (जद्दी जायदाद) से वंचित करने की कुचेष्टा में है। प्रार्थीया अप्रार्थी सं. 1 से अनुरोध ... पैतृक रकबा पर प्रार्थीया व तरतीबी प्रतिवादीगण के खातेदारी हक ... क व अधिकारों को स्वीकारते हुये अभिलेखों में भूमि उनके नाम से अमल ... की अपेक्षित कार्यवाही में सहयोग देते हुये विवादित रकबा को ... बुर्द करने से बाज व ममनू रहे तो वह प्रथमतः टालमटोल ... अन्ततः दिनांक 03.12.2022 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.23 16:28:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

मुकाम गढा ढोब तहसील अबोहर में उनकी किसी बात को मानने से स्पष्ट रूप से इन्कार होकर धमकी दी कि विवादित रकबा में से जितनी भूमि उसके अकेले के नाम से दर्ज भूमि व पिता जोगेन्द्रसिंह के नाम की भूमि कूटरचित दस्तावेज के जरिये अपने अकेले नाम से शीघ्रता से दर्ज करवाते प्रार्थीया आदि को विवादित रकबा में उनके पैतृक हिस्सा से वंचित करते हुये किसी अन्य को रहन, बैय या अन्य तरीके से हस्तान्तरित कर कब्जा सुपुर्द करेगा, इसलिए प्रार्थीया को अपने विधिक अधिकारों की संसुरक्षा व वांछित अनुतोष व व्यादेश प्राप्ति के लिये माननीय न्यायालय के समक्ष वाद लाना पड़ा। वाद के निस्तारण में समय लगने की संभावना है अगर दौराने वाद अप्रार्थी सं. 1 अपने उक्त अवैधानिक व गैरकानूनी कृत्य में कामयाब हो गया तो उससें प्रार्थीया के बाद का मकसद ही फोत हो जावेगा और प्रार्थीया के विधिक अधिकारों का हनन होगा, गैरइंसाफी होगी, अन्याय होगा, अपूर्णनीय क्षति होगी, मुकदमाबाजी बढ़ेगी, अपव्यय होगा जिससें होने वाले नुकसान को मुद्राओं में नहीं आंका जा सकेगा। इसलिएं प्रार्थीया अस्थाई व्यादेश पाने का विधिक अधिकारी है। अन्य आधार वरवक्त बहस अर्ज किये जायेगें। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट बाबत अस्थाई व्यादेश मय हल्फनामा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर ता:फैसला मूल वाद प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्व इस आशय का अस्थाई व्यादेश पारित फरमाया जावे कि वह विवादित रकबा वाकेमुताबिक जमाबन्दी संवत 2076–2079 संयुक्त खाता संख्या 52/49 अवतार सिंह बगैरा में प.नं. 221/260 मुरब्बा नं. 12 की 0.506 है. बारानी, प.नं. 224/263 मु.नं. 44 की 0.253 है. नहरी–बारानी मय खाला, प.नं. 226/267 मु. नं. 75 की 3.443 है. नहरी मय खाला, पं.नं. 227/262 मुरब्बा नं. 35 की 0.316 है. नहरी, पं.नं. 228/266 मु.नं. 69 की 1.354 है. नहरी पं.नं. 229/266 मुरब्बा नं. 70 की 1.771 है. नहरी व पं.नं. 230/266 मुरब्बा नं. 71 की 3.036 है. नहरी कुल खाता योग 10.679 है. नहरी–बारानी मय खाला खातेदारी में 1/2 भाग अप्रार्थी सं. 1 अवतारसिंह व 1/2 भाग प्रार्थीया के मृतक पिता श्री जोगेन्द्रसिंह के नाम दर्ज व मुताबिक जमाबन्दी संवत 2076–2079 के एकल खाता संख्या 12/9 अवतारसिंह पं.नं. 222/264 मु.नं. 47 की 1.518 है. नहरी व प.नं. 223/254 मुरब्बा नं. 48 की 0.063 है. नहरी कुल खाता योग 1.581 है नहरी खातेदारी अवतारसिंह के नाम दर्ज है। एवं मुताबिक जमाबन्दी संवत 2076/2079 के एकल खाता संख्या 161/27 अवतारसिंह प.नं. 230/266 मुरब्बा नं. 71 की कुल खाता योग 0.316 है. नहरी खातेदारी अवतार सिंह के नाम से दर्ज है उपरोक्त तीनों खातों की कुल 12.576 है. नहरी–बारानी खातेदारी कृषि भूमि, कृषि भूमि को स्वयं या अन्य के माध्यम से किसी भी प्रकार से किसी अन्य को रहन, बैय या अन्य तरीके से हस्तान्तरित करने से तथा प्रार्थीगण को जबरन–बलपूर्वक–विधिविरूध तरीके से बेदखल करने से बाज ममनू रहे तथा मौका एवं रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखें।

2. प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बधित पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1–2 की ओर से श्री नरेन्द्र कुमार भादू अधिवक्ता ने हाजिर होकर [illegible]मा व जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि उक्त भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या [illegible] व 4 की सहमति से मुझ अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से पारिवारिक सैटलमेंट के तहत दर्ज हुई है। जिसके संबंध में प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 2 व 4 ने अपनी सहमति प्रकट करते

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.23 16:28:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

हल्फनामा भी लिखकर दिया हुआ है जिस की चित्रप्रति जवाब प्रार्थना मे संलग्न है। ऐसी स्थिति में वर्तमान रिकार्ड अनुसार जो भूमि मुझ अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से है उसका मैं अप्रार्थी एकल मालिक व काबिज हूँ जिसमें प्रार्थीया का किसी प्रकार का कोई हक हकूक नहीं है प्रार्थीया ने न्यायालय हाजा में तथ्यों को छुपाते हुए यह मिथ्या प्रार्थना पत्र पेश किया है जो वर्तमान सूरत में ही काबिल खारिज है। उक्त भूमि हम अप्रार्थीगण के दादा रामसिंह की स्वअर्जित सम्पति थी तथा दादा रामसिंह ने अपनी सम्पति को पारिवारिक सैटलमेंट के तहत सीधे तौर पर सभी वारिसान की पूर्ण सहमति लेते हुए मुझ अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से करवायी थी सहमति बाबत निष्पादित हल्फनामा दिनांक 23.07.1999 से यह पूर्णतया साबित है प्रार्थीया ने इस तथ्य को छुपाकर महज हम अप्रार्थीगण को नाहक हैरान व परेशान करने के लिए यह प्रार्थना पेश किया है इस प्रकार अब उक्त भूमि मे प्रार्थीया का कोई हिस्सा नहीं रहा हैं तथा विवादित भूमि पर अप्रार्थीया संख्या 1 एकल मालिक होने के कारण इस भूमि को काबिज होकर काश्त कर रहा है। सहमति बाबत निष्पादित हल्फनामा दिनांक 23.07.1999 से यह पूर्णतया साबित है कि उक्त विवादित भूमि अप्रार्थी सं. 1 के नाम करवाते समय प्रार्थीया की पूर्ण सहमत थी। विवादित भूमि में प्रार्थीया का कोई हिस्सा नहीं रहा है तथा विवादित भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 एकल मालिक होने के कारण इस भूमि को काबिज होकर काश्त कर रहा है तथा वर्तमान में काबिज है तथा अपने कब्जा काश्त की भूमि पर मुझ अप्रार्थी ने फसल सावणी का बिजान भी किया हुआ है इसके अतिरिक्त प्रार्थीया कभी भी इस चक में आबाद भी नही रही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन किसी भी प्रकार से सिद्व नहीं है। तथा प्रार्थीया को कोई अपूर्णीय क्षति होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। अतिरिक्त कथन में अप्रार्थी ने अंकित किया है कि जिस लिखित सहमति हल्फनामा दिनांक 23.07.1999 के अनुसार प्रार्थीया का विवादित भूमि मे किसी प्रकार का कोई हक हकूक नहीं रहा है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीया वर्तमान सूरत में ही खारिज फरमाया जाकर खर्चा जवाब देही दिलाया जावे।

3. विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा अप्रार्थी के विरूद्व दिनांक 13.12.2022 को जारी अस्थाई निषेज्ञाधा को पैतृक सम्पति (जद्दी जायदाद) के आधार पर मूल वाद के निर्णय तक स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में अपने जबाव प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया। कथन किया कि विवादित भूमि पैतृक की श्रेणी में नहीं आती है उक्त भूमि मेरे दादा रामसिंह की स्वअर्जित सम्पति है और दिनांक 23.07.1999 को सहमति के लिए हल्फनामा भी दिया है जिसके आधार पर उक्त भूमि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हुई है इसलिए प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जावे।

4. अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज ... विवादित रकबा अप्रार्थीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज है और ... दिनांक 23.07.1999 पर स्व. जोगेन्दरसिंह के वारिसान की ... प्रार्थीया सुखप्रीतकौर उर्फ जीतपालकौर के स्वयं के हस्ताक्षर है। ... तथ्यों से मामला प्रार्थीया के पक्ष में साबित नहीं होता है इसलिए सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.23 16:28:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड आधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

पक्ष में बनना नहीं पाया जाता है रिकार्डेड टिनेन्ट के विरूद्व जारी दिनांक 3.12.2022 की अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निर्णय तक स्थाई करने की रत में अपूर्णनीय क्षति टिनेन्ट को होने की पूर्ण संभावना होती है इसलिए र्थीया का प्रार्थना पत्र अस्वीकार/खारिज किया जाना न्यायाचित है।

: आदेश:–

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र में दिनांक 13.12.2022 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाता है पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफतर होकर मूल वाद के साथ सलंग्न की जावे।

(सुभाष चन्द्र)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 16.07.2025 को सुनाया गया।

(सुभाष चन्द्र)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.23 16:28:00 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner